संख्याः-14/2026/सा0-141/अड़तीस-7-2026/38-9099(99)/32/2023

प्रेषक,

योगेश चन्द्र दीक्षित,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः 10 अगस्त, 2026**

विषयः-'जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति' 'दृष्टि' (DRISHTI) के विचारार्थ विषय में अतिरिक्त बिन्दु को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-32/2025/सा0-126/अड़तीस-9-2025/38-9099(99)/32/2023 दिनांक 01-07-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 'जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति' का गठन एवं बैठके आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर ''विचारार्थ विषय'' में निम्नलिखित बिन्दु को सम्मिलित किया जाता है:-

VI –''यह समिति राज्य सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा करेगी। ''दिशा'' में चूँकि सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (centrally sponsored schemes) पहले से अच्छादित हैं, अतः इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा दृष्टि समिति द्वारा नहीं की जायेगी।''

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 01.07.2025 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय

योगेश चन्द्र दीक्षित
अनु सचिव।

संख्याः-14(1)/2026/सा0-141/अड़तीस-7-2026/38-9099(99)/32/2023तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

योगेश चन्द्र दीक्षित
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in